



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में सचिव, कृषि उपज मंडी समिति एवं दलाल सुरक्षा गार्ड संविदाकर्मी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 27 जून, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अमर चंद सैनी, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, चौमू जिला जयपुर एवं दलाल किशोर कुमार खटीक सुरक्षा गार्ड ठेकाकर्मी को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि उपज मंडी में दुकान के व्यवसाय में पार्टनर बनवाने की एवज में अमर चंद सैनी, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, चौमू जिला जयपुर द्वारा अपने दलाल किशोर कुमार खटीक सुरक्षा गार्ड ठेकाकर्मी के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नीरज भारद्वाज एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल किशोर कुमार खटीक पुत्र श्री नंदराम निवासी वार्ड नं0 39, तहसील व थाना चौमू, जिला जयपुर हाल सुरक्षा गार्ड ठेकाकर्मी कृषि उपज मंडी समिति, चौमू जिला जयपुर को अमर चंद सैनी पुत्र श्री भैरुराम सैनी निवासी ग्राम थोई, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल निवासी म.नं. 69, कृष्णानगर, सिरसी रोड, जयपुर हाल सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, चौमू जिला जयपुर के लिये परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 32 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर चुके थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।